न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एम0 के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 3168–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 04–09–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नरवर जिला शिवपुरी प्रकरण कमांक 115/अ–6–अ/2013–14.

कु0 भावना पुत्री मदनलाल अग्रवाल
निवासी कस्वा नरवर तहसील नरवर,
जिला शिवपुरी म0प्र0

------आवेदिका

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन
2. अरविन्द जैन पुत्र सगुन चन्द जैन
निवासी बार्ड नम्बर 10, नरवर
तहसील नरवर, जिला शिवपुरी म0प्र0

------अनावेदकगण

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदिका
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक कं 2

:: आदेश पारित ::
(दिनांक 23/11 2016)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी नरवर जिला शिवपुरी के आदेश दिनांक 04–9–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मुबारिकपुर स्थिति भूमि सर्वे कमांक 807/2 रकवा 1.00 हे0 भूमि छविराम पुत्र सोहरू

गडरिया के स्थान पर कुमारी भावना नाबालिग पुत्री मदनलाल सरपरस्त पिता मदनलाल पुत्र नारायण का नामांतरण प्रकरण कमांक 23/1996–97/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 10–9–1998 के द्वारा किया गया था। अनावेदक कमांक 2 अरविंद कुमार जैन द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि को शासकीय दर्ज करने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण में दिनांक 03–9–2014 को पुनर्विलोकन अनुमति दिये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी नरवर के समक्ष प्रकरण भेजा जिसपर अनुविभागीय अधिकारी नरवर ने आदेश दिनांक 04–9–2014 को पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गई। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक का मुख्य रूप से तर्क है कि आवेदिका द्वारा वर्ष 1998 में पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से प्रश्नाधीन भूमि कय की थी जिसके आधार पर आवेदिका का नामांतरण तहसीलदार के आदेश दिनांक 10–9–1998 को किया गया था। तर्क में कहा कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक कमांक 2 द्वारा प्रस्तुत शिकायत के आधार पर लगभग 15 वर्ष पश्चात प्रकरण पुर्नविलोकन अनुमति की कार्यवाही की है जबकि इतनी लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के पाश्चात पुर्नविलोकन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। यह भी कहा कि अनावेदक कमांक 2 का प्रश्नाधीन भूमि को किसी प्रकार का कोई हक नहीं है जिसके कारण उसे आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था फिर भी तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक के आवेदन पर कार्यवाही करने में अवैधानिकता की गई है। यह भी तर्क किया कि अनुविभागीय अधिकारी ने बिना आवेदिका को सुनवाई का अवसर दिये पुर्नविलोकन की अनुमति दिये जाने का आदेश पारित किया है जो निरस्ती योग्य है। तर्क के समर्थन में 2000 रेवेन्यू निर्णय 76, 2007 रेवेन्यू निर्णय 77, 1985 जे0एल0जे0 167,

1987 जे0एल0जे0 536, 2000 आर एन 161, 1986 आर एन 1, 1969 आर एन 344, 1978 जे0एल0जे0 769 एवं 2011 आर एन 310 के न्यायदृष्टांतों का हवाला दिया।

4/ अनावेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि अवैधानिमक एवं अनियमित आदेश को पुर्नविलोकन में लिये जाने में समय का कोई बंधन नहीं है। यह भी तर्क दिया कि आवेदक को विधिवत सूचना दी गई थी अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना पुर्नविलोकन की अनुमति प्रदान की गई है। यह भी तर्क दिया कि मान0 उच्च न्यायालय ग्वालियर के प्र0क0 6691/2015 रिट पिटीशन आदेश दिनांक 02–02–2016 के द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 18–9–2014 निरस्त किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का निराकरण गुण–दोष के आधार पर किया जाये। यह भी कहा गया कि मान0 उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका कमांक 732/2014 प्रस्तुत की गई थी जिसमें आदेश दिनांक 20–2–2014 से तहसीलदार नरवर को निर्देशित किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर यदि कोई अतिकमण पाया जाता है तो नियमानुसार जांच कर अतिकमण हटाने की कार्यवाही हेतु आदेश प्राप्ति के 3 माह के अंदर जांच कर कार्यवाही करें। तहसीलदार द्वारा मान0 उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जा रहा है। पुर्नविलोकन अनुमति प्राप्त होने के पश्चात तहसीलदार ने 10–9–2014 को अंतिम आदेश पारित कर दिया है। तर्क में यह भी कहा कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 4–9–2014 को राजस्व मण्डल से निरस्त होने के उपरांत अनावेदक कमांक 2 द्वारा मान0 उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दायर की गई थी जिसमें आदेश दिनांक 2–2–2016 राजस्व मण्डल का आदेश निरस्त होकर अनावेदक को सुनवाई का अवसर देकर 6

सप्ताह में निराकरण करने के निर्देश दिये थे। अनावेदक अभिभाषक ने निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 2 की शिकायत आवेदन के आधार पर तहसीलदार नरवर ने पूर्व के तहसीलदार के आदेश दिनांक 10–9–98 के पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु प्रकरण दिनांक 03–9–14 को अनुविभागीय अधिकारी की ओर से भेजा। अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार से प्रकरण प्राप्त होने पर उसी दिनांक 04–9–2014 को बिना आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर दिये तहसीलदार के आदेश दिनांक 10–9–98 को पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान करने में विधि एवं नैसर्गिक न्याय की गंभीर त्रुटि की है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अनुसार–

51. आदेशों का पुनर्विलोकन – मण्डल तथा प्रत्येक राजस्व अधिकारी, या तो स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर, किसी ऐसे आदेश का, जो स्वतः उसके द्वारा या उसके पूर्वाधिकारियों में से किसी पूर्वाधिकारी द्वारा पारित किया गया हो, पुनर्विलोकन कर सकेगा और उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे:

परन्तु– (एक) यदि आयुक्त, बन्दोबस्त आयुक्त कलेक्टर या बन्दोबस्त अधिकारी किसी ऐसे आदेश को, जो कि उसने स्वयं पारित न किया हो, पुनर्विलोकन कना आवश्यक समझता है तो वह पहले मण्डल की मंजूरी अभिप्राप्त करेगा, और यदि कलेक्टर या बन्दोबस्त अधिकारी के अधीनस्थ कोई अधिकारी किसी ऐसे आदेश का, जो चाहे स्वयं उसके द्वारा या उसके किसी पूर्वाधिकारी द्वारा पारित किया गया हो, पुनर्विलोकन करने की प्रस्तावना करता है तो वह पहले उस प्राधिकारी की, जिसके कि अधीनस्थ है, लिखित मंजूरी अभिप्राप्त करेगा।

(एक–क) किसी भी आदेश को तब तक फेरफारित नहीं किया जाएगा या उलटा नहीं जाएगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को उपसंजात होने तथा ऐसे आदेश की पुष्टि में सुने जाने की सूचना न दे दी गई हो;"

इस संबंध में 2000 आर एन 76 शहीद अनवर विरूद्ध राजस्व मंडल तथ्झा अन्य अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

''भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 51 परंतुक (एक)– पुनर्विलोकन के लिए मंडल अथवा अन्य किसी राजस्व अधिकारी द्वारा मंजूरी–दूसरे पक्ष को सूचना और सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रदान नहीं की जा सकती।''

इस संबंध में 2007 आर एन 77 चोईथराम चेरिटेबिल ट्रस्ट विरूद्ध म0प्र0 शासन में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

''भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 51 परंतुक (एक)– पुनर्विलोकन के लिए मंडल अथवा अन्य राजस्व अधिकारी की स्वीकृति–––सूचना तथा दूसरे पक्षकार की सुनवाई किए बिना प्रदान नहीं की जा सकती।''

चूंकि आवेदिका को बिना सुनवाई का अवसर दिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गई थी जिससे संहिता की धारा 51 के प्रावधानों का स्पष्टतः उल्लघंन प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। चूंकि तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पश्चात एक ही दिनांक अग्रिम कार्यवाही कर दी है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि जब पूर्व का आदेश ही अपास्त कर दिया गया हो वहां उसके अग्रेतर सभी कार्यवाहियां स्वतः ही निरस्त मानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त जहां तक मान0 उच्च न्यायालय के आदेश का प्रश्न है जिसके द्वारा अनावेदक कमांक 2 को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत पुनः आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये है। मान0 उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में अनावेदक कमांक 2 को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का समुचित अवसर उपलब्ध कराया गया। अनावेदक कमांक 2 द्वारा मुख्य रूप से केवल एक ही आधार इस प्रकरण के गुण–दोष पर दर्शाया है कि शासकीय भूमि पर आवेदिका द्वारा अवैध कब्जा अतिकमण कर रखा है

इसलिए उसके द्वारा तहसीलदार के समक्ष शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। अनावेदक कमांक 2 का प्रश्नाधीन भूमि में किसी प्रकार का कोई निजी हित सन्नहित नहीं हैं। चूंकि अनावेदक कमांक 2 के आवेदन पर ही तहसीलदार द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति की कार्यवाही की गई थी और अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण भेजा था, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने उसी दिनांक को प्रकरण में पुनर्विलोकन अनुमति देने में वैधानिक एवं विधि की गंभीर भूल की है। इसके अतिरिक्त आवेदिका द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में व्यवहार न्यायालय के वाद कमांक 51ए/2001 आदेश दिनांक 11–8–2004 के द्वारा आवेदिका का आधिपत्य माना है, परन्तु स्वत्व के संबंध में निर्णय इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जाना है बल्कि मात्र अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही को ही विचार क्षेत्र पर निष्कर्ष निकाला गया है। अनावेदक कमांक 2 को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है जहां अनुविभागीय अधिकारी दोनों पक्षों को पुनः सुनवाई का अवसर देकर रिव्यू अनुमति प्रदान करने के संबंध में निर्णय लेंगे।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह निगरानी स्वीकार की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी नरवर जिला शिवपुरी का आदेश दिनांक 04–9–2014 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का पक्ष समर्थन का समुचित अवसर देने के उपरांत संहिता की धारा 51 के अध्यधीन पुनर्विलोकन अनुमति संबंधी आदेश पारित करें।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर